gouin Attachment 12:14 PM 26/1/25

राजस्थान सरकार
निदेशालय, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायती राज विभाग

प्रथम तल, चौपाल विश्रान्ति गृह, बड़ोदिया बस्ती, (जयपुर जंक्शन के पास), जयपुर 302006
फोन– 0141 2205802 ईमेलः sbmg2018@gmail.com

क्रमांक : एफ 4 पराविं/SBM(G)/BSR/2024-25/ 2928-34 दिनांक : 24.1.25

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद – समस्त।

SBM 27/1/25

विषय :– ग्रामीण क्षेत्रों में संवेदक के माध्यम से स्वच्छता संबंधी कार्यो की नियमित समीक्षा एवं प्रभावी निरीक्षण हेतु ग्राम पंचायतों के स्वच्छता कलस्टर प्रभारी नियुक्त करने के संबंध में।

प्रसंग :– स्थायी आदेश संख्या 1/2024 दिनांक 03.09.2024, विभागीय पत्रांक 1459–64 दिनांक 03.09.2024, 2192–96 दिनांक 18.11.2024, पत्रांक 2197–2202 दिनांक 18.11.2024 एवं 2599–2604 दिनांक 27.12.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्रों के क्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में संवेदक के माध्यम से स्वच्छता संबंधी कार्य सम्पादित किये जाने हेतु दरे निर्धारित की जाकर विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये है।

माननीय मंत्री महोदय पंचायतीराज विभाग द्वारा विभिन्न जिलों में भ्रमण के दौरान यह देखने में आया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता संबंधी कार्यो की विभिन्न स्तरों से प्राथमिकता से समीक्षा एवं निरीक्षण के अभाव के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्य प्रभावी ढंग से क्रियान्वित नही किये जा रहे है।

राज्य में संवेदक द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों मे गांवों में घर–घर कचरा संग्रहण, कचरे का पृथक्करण, सडक एवं नाली की सफाई तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसरों की सफाई कार्य नियमित रूप से करवाकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष स्वच्छता (Visual Cleanliness) सुनिश्चित किये जाने हेतु स्वच्छता कार्यो की प्रभावी मॉनिटरिंग एवं क्रियान्वयन हेतु पूर्ववर्ती विभागीय पत्रांक 2599–2604 दिनांक 27.12.2024 के बिन्दू संख्या–1 के निर्देशो को अतिक्रमणित कर निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते है:–

➢ **ब्लॉक स्तर**

1. ग्राम पंचायतों **का स्वच्छता कलस्टर निर्धारण :–**

- सफाई कार्यो का प्रभावी निरीक्षण एवं उत्तरदायित्व हेतु प्रत्येक पंचायत समिति में सहायक अभियंता, अतिरिक्त विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता एवं कनिष्ठ तकनीकी सहायक की पदों की संख्या के आधार पर यथा संभव समान संख्या में विभाजित कर (उनके अन्य योजनाओं के निर्धारित कलस्टर में सम्मिलित/समीपस्थ ग्राम पंचायतों का) कलस्टर निर्धारित किया जाए।
- प्रत्येक अधिकारी/कार्मिक को उक्त कलस्टर के **स्वच्छता प्रभारी नियुक्त** किया जाए।

Signature valid
Digitally signed by Joga Ram
Designation: Secretary To Government
Date: 2025.01.24 20:23:33 IST
Reason: Approved

2. **दायित्व :–**

❖ **विकास अधिकारी :–**

- घर–घर कचरा संग्रहण व स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के ... अतिरिक्त विकास अधिकारी(जिसे इस कार्य हेतु नियुक्त किया गया है) से प्रतिदिन रिपोर्ट ... कर आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान करेगें।

जिला परिषद–अजमेर
शाखा–
प्राप्ति क्रमांक– 1305
दिनांक– 28/1/25
हस्ताक्षर

RajKaj Ref No.: 13203945

राजस्थान सरकार
निदेशालय, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायती राज विभाग

प्रथम तल, चौपाल विश्रान्ति गृह, बड़ोदिया बस्ती, (जयपुर जंक्शन के पास), जयपुर 302006
फोन– 0141 2205802 ईमेलः sbmg2018@gmail.com

- विकास अधिकारी द्वारा पंचायत समिति क्षेत्र में संवेदक के माध्यम से उक्त सफाई कार्यो की प्रभावी मॉनिटरिंग एंव क्रियान्वयन हेतु सप्ताह में एक बार आवश्यक रूप से समीक्षा बैठक एवं विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग की जायेगी।
- विकास अधिकारी प्रति सप्ताह 2 स्वच्छता कलस्टरों का भौतिक रूप से निरीक्षण करेगें तथा वस्तुस्थिति रिपोर्ट मय जिऔटेग फोटोग्राफ मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को प्रस्तुत करेंगे।

❖ **अतिरिक्त विकास अधिकारी :–** वरिष्ठतम अतिरिक्त विकास अधिकारी पद रिक्त होने की स्थिति वरिष्ठतम सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति क्षेत्र की समस्त ग्राम पंचायतो में उक्त सफाई कार्यो की मॉनिटरिंग के लिए उत्तरदायी होगा।

- स्वच्छता कार्यो के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कार्यो की प्रगति रिपोर्ट प्रति–दिन विकास अधिकारी को प्रस्तुत करेगें।
- विकास अधिकारी से प्राप्त प्रतिदिन निर्देशों की कलस्टर स्वच्छता प्रभारी/ग्राम पंचायत स्तर से अनुपालना करवाना सुनिश्चित करेगें।
- अतिरिक्त विकास अधिकारी प्रति सप्ताह में पंचायत समिति के 2 स्वच्छता कलस्टरों का आवश्यक रूप से निरीक्षण कर वस्तुस्थिति रिपोर्ट मय जिऔटेग फोटोग्राफ विकास अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

❖ **स्वच्छता कलस्टर प्रभारी :–** कलस्टर प्रभारी कलस्टर की समस्त ग्राम पंचायतो में उक्त सफाई कार्यो की मॉनिटरिंग के लिए उत्तरदायी होगा।

- कलस्टर प्रभारी कलस्टर पंचायतों में संवेदक के माध्यम से उक्त सफाई कार्यो की प्रभावी मॉनिटरिंग एंव क्रियान्वयन हेतु सप्ताह में 2 बार कलस्टर की समस्त ग्राम पंचायतों में आवश्यक रूप से निरीक्षण करेगा।
- कलस्टर प्रभारी निरीक्षण वस्तुस्थिति रिपोर्ट मय जिऔटेग फोटोग्राफ अतिरिक्त विकास के माध्यम से विकास अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
- फील्ड विजिट के दौरान पाई गई कमियों को ठीक करवाने हेतु विकास अधिकारी को संज्ञान में लाया जाकर ग्राम पंचायत को आवश्यक निर्देश प्रदान करेंगे।

❖ **ब्लॉक समन्वयक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) :–** ब्लॉक समन्वयक ब्लॉक की समस्त ग्राम पंचायतो में उक्त सफाई कार्यो की मॉनिटरिंग के लिए उत्तरदायी होगा।

- ब्लॉक समन्वयक प्रति दिन समस्त पंचायतों की प्रगति रिपोर्ट से विकास अधिकारी को अवगत करवायेगें।
- ब्लॉक समन्वयक प्रति सप्ताह पंचायत समिति क्षेत्र की न्यूनतम 3 ग्राम पंचायतो का निरीक्षण कर वस्तुस्थिति रिपोर्ट मय जिऔटेग फोटोग्राफ विकास अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
- ब्लॉक समन्वयक द्वारा सफाई कार्यो में आ रही तकनीकी एवं प्रशासनिक समस्याओं से विकास अधिकारी को अवगत करवाया जावेगा।

➢ जिला स्तर :–

1. **पंचायत समितियों का कलस्टर निर्धारण :–**

- सफाई कार्यो की प्रभावी निरीक्षण एवं उत्तरदायित्व हेतु अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, अतिरिक्त विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, के पदों की संख्या के आधार पर पंचायत समितियों का आवंटन करेगें।

Signature valid
Digitally signed by Jog Ram
Designation: Secretary To Government
Date: 2020.01.24 10:28:33
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13203945

राजस्थान सरकार
निदेशालय, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायती राज विभाग

प्रथम तल, चौपाल विश्रान्ति गृह, बड़ोदिया बस्ती, (जयुपर जंक्शन के पास), जयपुर 302006
फोन– 0141 2205802 ईमेलः sbmg2018@gmail.com

- प्रत्येक अधिकारी उक्त पंचायत समिति का घर–घर कचरा संग्रहण/स्वच्छता कार्यो हेतु मॉनिटरिंग/ पर्यवेक्षण करेगें।

2. दायित्व :–

❖ **मुख्य कार्यकारी अधिकारी** :– मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा मॉनिटरिंग एंव क्रियान्वयन हेतु प्रति सप्ताह 1 बार आवश्यक रूप से जिले के समस्त जिला स्तरीय स्वच्छता प्रभारी अधिकारियों की समीक्षा बैठक की जायेगी

- मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जिला परिषद क्षेत्र में संवेदक के माध्यम से उक्त सफाई कार्यो की प्रभावी मॉनिटरिंग एंव क्रियान्वयन हेतु प्रति पखवाड़ा 1 बार आवश्यक रूप से जिले के समस्त अधिकारियों की समीक्षा बैठक/विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग की जायेगी
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रत्येक सप्ताह में न्यूनतम 1 ग्राम पंचायत का निरीक्षण किया जायेगा।

❖ **अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी** :– घर–घर करचरा संग्रहण व स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कार्यो की प्रभारी अधिकारी(जिसे इस कार्य हेतु नियुक्त किया गया है।) एवं जिला परियोजना समन्वयक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) से प्रतिदिन रिपोर्ट प्राप्त कर आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान करेगें।

- अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जिला परिषद क्षेत्र में संवेदक के माध्यम उक्त सफाई कार्यो की प्रभावी मॉनिटरिंग एंव क्रियान्वयन हेतु प्रति सप्ताह 1 बार आवश्यक रूप से समीक्षा बैठक एवं विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग की जायेगी
- अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रत्येक पखवाड़े में न्यूनतम 2 ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया जायेगा।

❖ **जिला स्तरीय स्वच्छता प्रभारी** :– जिला स्तरीय स्वच्छता प्रभारी आवंटित पंचायत समितियों में उक्त सफाई कार्यो की मॉनिटरिंग के लिए उत्तरदायी होगा।

- जिला स्तरीय स्वच्छता प्रभारी द्वारा प्रत्येक सप्ताह में आवंटित पंचायत समितियों की न्यूनतम 1 ग्राम पंचायत का निरीक्षण किया जायेगा।
- जिला स्तरीय स्वच्छता प्रभारी प्रति सप्ताह निरीक्षण कर वस्तुस्थिति रिपोर्ट मय जिऔटेग फोटोग्राफ मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

❖ **जिला परियोजना समन्वयक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.)** :– जिला परियोजना समन्वयक जिले की समस्त पंचायत समितियों में उक्त सफाई कार्यो की मॉनिटरिंग के लिए उत्तरदायी होगा।

- जिला परियोजना समन्वयक द्वारा प्रति दिन समस्त पंचायत समितियों की प्रगति रिपोर्ट से मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्रभारी अधिकारी को अवगत करवाया जायेगा।
- जिला परियोजना समन्वयक प्रति सप्ताह समस्त न्यूनतम 2 ग्राम पंचायतों का निरीक्षण कर वस्तुस्थिति रिपोर्ट मय जिऔटेग फोटोग्राफ मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। सफाई कार्य में आ रही प्रशासनिक समस्याओं से मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्रभारी अधिकारी को अवगत कराया।

Signature valid
Digitally signed by Joga Ram
Designation: Secretary to Government
Date: 2025.01.24 20:23:33 IST
Reason: Approved

अतः उक्तानुसार जिला परिषद के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में संवेदक द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों में घर–घर कचरा संग्रहण, कचरे का पृथक्करण, सड़क एवं नाली की सफाई तथा सामुदायिक

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

राजस्थान सरकार
निदेशालय, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायती राज विभाग

स्वच्छ राजस्थान

प्रथम तल, चौपाल विश्रान्ति गृह, बड़ोदिया बस्ती, (जयुपर जंक्शन के पास), जयपुर 302006
फोन– 0141 2205802 ईमेलः sbmg2018@gmail.com

स्वच्छता परिसरों की सफाई कार्य नियमित रूप से करवाकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष स्वच्छता (Visual Cleanliness) सुनिश्चित किये जाने हेतु स्वच्छता कार्यो की प्रभावी मॉनिटरिंग एवं क्रियान्वयन हेतु जिला एवं ब्लॉक अधिकारियों की मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित कर प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना सुनिश्चित करावें, ताकि ग्रामों में प्रत्यक्ष स्वच्छता (Visual Cleanliness) स्थापित की जा सकें।

सभी निरीक्षण अधिकारी निर्धारित निरीक्षण प्रारूप के बिन्दूओं के साथ–साथ यह भी सुनिश्चित करेगें कि, ग्राम पंचायत एवं संवेदक द्वारा ग्राम में सफाई– कार्य हेतु संवेदक का नाम, मोबाईल नं. एव रूट चार्ट का ग्राम मे सहज दृश्य स्थल पर प्रदर्शन, शनिवार को विद्यालयों में नो प्लास्टिक डे का आयोजन, 26 जनवरी, 15 अगस्त एवं प्रमुख त्यौहारो पर सफाई की विशेष व्यवस्था की जा रही है।

उक्त निर्देशों की पालना हेतु समस्त संबंधित अधिकारियों को 3 दिवस में आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान कर विभाग को अवगत करावें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्न :– उक्तानुसार।

(डॉ. जोगाराम)
शासन सचिव एवं आयुक्त,
पंचायतीराज विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग।
2. निजी सहायक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), जयपुर।
3. जिला कलक्टर, जिला–समस्त।
4. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद– समस्त।
5. जिला परियोजना समन्वयक/प्रभारी SBMG, जिला परिषद–समस्त।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति–समस्त।

Signature valid
Digitally signed by Joga Ram
Designation: Secretary To Government
Date: 2025.01.24 20:23:33 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13203945

स्वच्छता कार्यो हेतु निरीक्षण प्रपत्र

गांव का नाम ग्राम पंचायत का नाम :

वार्डो की संख्या :

ग्राम विकास अधिकारी का नाम एवं मोबाईल नं. :

मुख्यालय पर दैनिक रजिस्ट्रर संधारित (हाँ / नहीं) :

सफाई कार्य हेतु फर्म का नाम :

फर्म के सुपरवाईजर का नाम व मोबाईल नं. :

निविदा की समयावधि :

1. घर–घर कचरा संग्रहण एवं पृथक्कीकरण कार्य :

- घरों से कचरा कितने अंतराल में उठाया जाता है।(प्रतिदिन / 03 दिवस / साप्ताहिक / अन्य विवरण) :
- सफाई वाहन में गीला–सूखा कचरे के लिए पृथक–पृथक संग्रहण की व्यवस्था (हाँ / नहीं) :
- सफाई वाहन पर जिंगल वादन की व्यवस्था (हाँ / नहीं) :
- क्या वाहन द्वारा आर.आर.सी. पर कचरा डाला जा रहा है (हाँ / नहीं) :
- आर.आर.सी. पर कचरा संग्रहण एवं पृथक्कीकरण की व्यवस्था (हाँ / नहीं) :
- क्या कचरा संग्रहण वाहन का रूट तैयार किया गया है (हाँ / नहीं) :

2. सड़क सफाई कार्य :

- सड़क / बाजार / मुख्य चौक में कितने अंतराल में झाडू/ सफाईकी जाती है। (15 दिवस/ साप्ताहिक) :

3. नाली सफाई कार्य :

- नाली सफाई कितने अंतराल में की जाती है। (विवरण) :
- नाली से निकलने वाली गन्दगी के निपटान की व्यवस्था (हाँ / नहीं) :
- क्या सड़क पर नाली का कचरा एकत्रित है।(हाँ / नहीं) :

4. **सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC) की सफाई कार्य :**

- सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई व्यवस्था का अंतराल (प्रतिदिन / 02 दिवस में) :
- सामुदायिक स्वच्छता परिसर में बिजली, पानी की व्यवस्था (हाँ / नहीं) :
- क्या सामुदायिक स्वच्छता परिसर समुदाय द्वारा उपयोग में लिया जा रहा है (हाँ / नहीं) :
- क्या पिंक टॉयलेट (विद्यालय में) में नियमित सफाई है (हाँ / नहीं) :
- क्या पिंक टॉयलेट (विद्यालय में) उपयोग में लिया जा रहा है (हाँ / नहीं) :

5. **अन्य बिन्दु :**

- क्या फर्म को नियमित भुगतान किया जा रहा है (हाँ / नहीं) :
- क्या फर्म द्वारा सफाई कर्मियों को नियमित भुगतान किया जा रहा है (हाँ / नहीं):
- क्या फर्म द्वारा सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराये गये है (हाँ / नहीं) :
- क्या फीडबैक रजिस्ट्रर में नियमित दर्ज किया जा रहा है (हाँ / नहीं) :
- सफाई कार्य हेतु रूट चार्ट तैयार किया गया है (हाँ / नहीं) :
- क्या गांव प्रत्यक्ष स्वच्छता (Visual Cleanliness) है (हाँ / नहीं) :
- क्या मुख्य स्थानों पर रूट चार्ट प्रदर्शित किया गया है (हाँ / नहीं) :

6. **निरीक्षणकर्ता द्वारा सुझाव :**

....

....

....

....

हस्ताक्षर
निरीक्षणकर्ता

नाम ....

पद....................................

दिनांक....................................

घर–घर कचरा संग्रहण एवं पृथक्करण कार्य रजिस्टर–1

मुख्य पृष्ठ सामान्य विवरण

क्र.स.	विवरण	
1	ग्राम पंचायत का नाम	
2	गांव का नाम	
3	गांव में वार्डो की संख्या	
6	फर्म के कार्य की अवधि	
7	फर्म का नाम	
8	फर्म का मोबाईल नं.	
9	गांव में परिवारों की संख्या	
10	गांव में झाडू लगाने का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	
11	गांव में नालियों की कुल लम्बाई (मी.)	
12	गांव में सी.एस.सी. की संख्या	

क्र.स.	कार्य	कार्य आदेश के अनुसार कार्य अंतराल	कार्य करने का दिनांकवार इन्द्राज						कुल कार्य दिवस
	माह / दिनांक								
1	घर–घर कचरा संग्रहण								
2	कचरा पृथक्करण								
	फर्म के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर								
	चैक करने वाले के हस्ताक्षर (सरपंच / LDC/ VDO)								
	नाम व पद								

सड़क सफाई कार्य रजिस्टर–2

मुख्य पृष्ठ सामान्य विवरण

क्र.स.	विवरण	
1	ग्राम पंचायत का नाम	
2	गांव का नाम	
3	गांव में वार्डो की संख्या	
6	फर्म के कार्य की अवधि	
7	फर्म का नाम	
8	फर्म का मोबाईल नं.	
9	गांव में परिवारों की संख्या	
10	गांव में झाडू लगाने का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	
11	गांव में नालियों की कुल लम्बाई (मी.)	
12	गांव में सी.एस.सी. की संख्या	

क्र.स.	कार्य	कार्य आदेश के अनुसार कार्य अंतराल	कार्य करने का दिनांकवार इन्द्राज						कुल कार्य दिवस
	माह / दिनांक								
1	सड़क सफाई कार्य								
	फर्म के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर								
	चैक करने वाले के हस्ताक्षर (सरपंच / LDC / VDO)								
	नाम व पद								

नाली सफाई कार्य रजिस्टर–3

मुख्य पृष्ठ सामान्य विवरण

क्र.स.	विवरण	
1	ग्राम पंचायत का नाम	
2	गांव का नाम	
3	गांव में वार्डो की संख्या	
6	फर्म के कार्य की अवधि	
7	फर्म का नाम	
8	फर्म का मोबाईल नं.	
9	गांव में परिवारों की संख्या	
10	गांव में झाडू लगाने का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	
11	गांव में नालियों की कुल लम्बाई (मी.)	
12	गांव में सी.एस.सी. की संख्या	

क्र.स.	कार्य	कार्य आदेश के अनुसार कार्य अंतराल	कार्य करने का दिनांकवार इन्द्राज						कुल कार्य दिवस
	माह/दिनांक								
1	नाली सफाई कार्य								
	फर्म के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर								
	चैक करने वाले के हस्ताक्षर (सरपंच/LDC/VDO)								
	नाम व पद								

सामुदायिक स्वच्छता परिसर सफाई कार्य रजिस्टर–4

मुख्य पृष्ठ सामान्य विवरण

क्र.स.	विवरण	
1	ग्राम पंचायत का नाम	
2	गांव का नाम	
3	गांव में वार्डो की संख्या	
6	फर्म के कार्य की अवधि	
7	फर्म का नाम	
8	फर्म का मोबाईल नं.	
9	गांव में परिवारों की संख्या	
10	गांव में झाड़ू लगाने का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	
11	गांव में नालियों की कुल लम्बाई (मी.)	
12	गांव में सी.एस.सी. की संख्या	

क्र.स.	कार्य	कार्य आदेश के अनुसार कार्य अंतराल	कार्य करने का दिनांकवार इन्द्राज						कुल कार्य दिवस
	माह / दिनांक								
1	सामुदायिक स्वच्छता परिसर सफाई								
	फर्म के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर								
	चैक करने वाले के हस्ताक्षर (सरपंच / LDC/ VDO)								
	नाम व पद								